

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

2

3

अभिलेख उपस्थापित।

23

बबलू केरकेट्टा पिता स्व० विशेश्वर केरकेट्टा, निवास स्थान कोर्रा, हेट टोला, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-जबरा, थाना नं०-154, खाता संख्या-06 प्लॉट संख्या-1199, रकवा 0.06 एकड़ (06 डिसमिल) (छः डिसमिल) भूमि सुमन उरांव पिता फकीर उरांव, निवास स्थान ग्राम-लाखे, पोस्ट-कोर्रा, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति तथा भूमि संबंधित कागजात संलग्न कर आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-730/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 3781/रा० दिनांक 14.10.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 2071 दिनांक 25.10.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत हैं एवं एक थाना के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार भूमि का किरमन रैयती है। खतियानी रैयत कंगलु उरांव हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 2.79 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 2.79 एकड़ भूमि है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-5/1 पर कंगलु उरांव के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2017-18 तक निर्गत है। आवेदक के परदादा जमाबंदी रैयत हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदिका घरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाते में रकवा 2.73 एकड़ भूमि बचता है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई दिप्पणी तारीख
1	2	3
	<p>अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।</p> <p>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में बबलू केरकेटा पिता स्व० विशेश्वर केरकेटा, निवास स्थान कोर्रा, हेठ टोला, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-जबरा, थाना नं०-154, खाता संख्या-06 प्लॉट संख्या-1199, रकबा 0.06 एकड़ (06 डिसमिल) (छः डिसमिल) भूमि सुमन उरांव पिता फकीर उरांव, निवास स्थान ग्राम-लाखे, पोस्ट-कोर्रा, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>अपर समाहर्ता, हजारीबाग।</p> <p>अपर समाहर्ता, हजारीबाग।</p>	

पेचक.